न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 13 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 17–2–2020

चोथमल पुत्र हरनााथ जाति गूर्जर निवासी ग्राम–झुण्डवा तहसील उनियारा जिला–टोंक

–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 11–12–2019 मिसल नम्बर 1021 / 2019

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 25–11––2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 11–12–2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1015,1062 रकबा 2.59 है0,वाके ग्राम झुण्डवा में राजकीय भूमि पर अतिकमण कर उड़द की फसल काश्त करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे उन्हें आदेश से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई। राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कब्जा या अतिकमण नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। अपीलान्ट ने मौके पर से कब्जा हटा लि[illegible] अपीलान्ट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिकमण की कोई साक्ष्य नहीं है [illegible] गई बेदखली का निर्णय या प्रतिवेदन प्रदर्शित नहीं हुआ है। नायब तहसीलदार [illegible] द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। अपीलान्ट ने पेनल्टी राशि जमा करादी है तथा इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:53:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

आश्य का शपथ पत्र/अपील मीमो के साथ संलग्न कर रहा है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि से कब्जा छोड़ दिया है व भविष्य में भी उक्त वर्णित भूमि व अन्य किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा यदि करेगा तो उसके विधिक परिणाम भुगतने को तैयार रहेगा। अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त करते हुए सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र दफा–5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 रा0 ले0 रे0 एक्ट निरस्त की जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील में अकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1015,1062 रकबा 2.59 है0,वाके ग्राम झुण्डवा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उड़द की फसल काश्त की है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1310/19 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1015,1062 रकबा 2.59 है0,वाके ग्राम झुण्डवा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उड़द की फसल काश्त करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने उक्त विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिकगमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1310/2019 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 11–12–2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:53:38 IST
Reason: SelfAttested